आरबीई सं. 71/2023

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं. 2022/ई(डब्ल्यू)/01/08/1 **नई दिल्ली, दिनांक 17.05.2023**

महाप्रबंधक (वाणिज्य एवं कार्मिक)
सभी क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां

प्रबंध निदेशक
रेल सूचना प्रणाली केंद्र
चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021

विषय: वाणिज्य निदेशालय द्वारा जारी श्रेणी एवं बुकिंग कोड के साथ पास /पीटीओ पर एकीकृत यात्रा पात्रता के संबंध में स्पष्टीकरण।

संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 28.10.2022 का समसंख्यक परिपत्र.

यह देखा गया है कि विशिष्ट प्रभारों पर विशिष्ट गाड़ियां और सुविधा विशेष गाड़ियों में लगाए जाने वाले कुर्सी यान(CC)/प्रथम श्रेणी(FC) कोचों के लिए बोर्ड के उपर्युक्त पत्र में कोई विनिर्दिष्ट पात्रता अनुबद्ध नहीं है। इस अस्पष्टता को दूर करने के लिए, बोर्ड के उपर्युक्त परिपत्र के अनुलग्नक I और II के नोट संख्या 2 को निम्नानुसार आशोधित किया गया है:

"हमसफर, विशिष्ट प्रभारों पर विशिष्ट गाड़ियां और सुविधा विशेष गाड़ियों में यात्रा की पात्रता राजधानी एक्सप्रेस प्रकार की गाड़ियों के समान रहेगी। यदि ऐसी गाड़ियों में कुर्सी यान(CC)/प्रथम श्रेणी(FC) कोच लगाए जाते हैं तो पात्रता शताब्दी एक्सप्रेस प्रकार की गाड़ी की कुर्सी यान(CC) श्रेणी के अनुसार रहेगी।

2. बोर्ड के उपर्युक्त परिपत्र में अनुबद्ध अन्य निबंधन और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।

(संजय मनोचा)
निदेशक (यात्री विपणन)-II
रेलवे बोर्ड
फोन नं.: 011-23047367
ई-मेल: manocha.421sanjay@gov.in

(वी. मुरलीधरन)
उपनिदेशक स्थापना (कल्याण)-I
रेलवे बोर्ड
फोन नं.: 011-23047203
ई-मेल: ddew1@rb.railnet.gov.in

सं. 2022/ई(डब्ल्यू)/01/08/1 **नई दिल्ली, दिनांक 17.05.2023**

प्रतिलिपि प्रेषित: भारत के उप नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक (रेलें), कमरा सं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।

कृते सदस्य (वित्त)/रेलवे बोर्ड

...2....

प्रतिलिपि अग्रेषित:-

i. संयुक्त सचिव, रेलवे बोर्ड।
ii. कार्यपालक निदेशक (टी एंड एमपीपी), रेलवे बोर्ड।
iii. कंप्यूटर सेल/सी एंड आईएस, रेलवे बोर्ड को सभी संबंधितों के सूचनार्थ रेल मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
iv. महाप्रबंधक/क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली - 110021– पीआरएस में आशोधन हेतु।
v. मानक सूची के अनुसार।

सूचना हेतु प्रतिलिपि अग्रेषित:-

1. महासचिव, एनएफआईआर, कमरा नं. 256-ई, रेल भवन, नई दिल्ली।
2. महासचिव, एआईआरएफ, कमरा नं 253, रेल भवन, नई दिल्ली।
3. सदस्य, राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद और सचिव कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
4. महासचिव, फ्रोआ, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन, नई दिल्ली।
5. महासचिव, आईआरपीओएफ, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
6. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप "ए" ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं.402, रेल भवन, नई दिल्ली।
7. सचिव, आरबीएसएस, ग्रुप "बी" ऑफिसर्स एसोसिएशन, रेल भवन, नई दिल्ली।
8. महासचिव, आरबीएसएसएसए, कमरा नं.439, रेल भवन, नई दिल्ली।
9. सचिव, रेलवे बोर्ड प्रोमोटी अधिकारी संघ, कमरा नं.341-सी, रेल भवन, नई दिल्ली।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड लिपिकवर्गीय कर्मचारी संघ, रेल भवन, नई दिल्ली।
11. सचिव, रेलवे बोर्ड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ, रेल भवन, नई दिल्ली।
12. महासचिव, अखिल भारतीय आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
13. महासचिव, अखिल भारतीय एससी / एसटी रेलवे कर्मचारी संघ, कमरा नं.7, रेल भवन, नई दिल्ली।
14. महासचिव, अखिल भारतीय ओबीसी रेलवे कर्मचारी महासंघ, कमरा नं.48, रेल भवन, नई दिल्ली।

नवीन

कृते प्रधान कार्यपालक निदेशक (औद्योगिक संबंध)
रेलवे बोर्ड